

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
78/2025

दायर दिनांक
24.01.2025

निर्णय दिनांक
64-04-2025

1. श्री ऊंकार सुथार आत्मज श्री हजारी सुथार, निवासी बारेटो का मोहल्ला, किशनगढ़ तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज.) ।

— प्रार्थी

बनाम

1. भुरानाथ आत्मज श्री मगना नाथ निवासी देवलीखेड़ा, किशनगढ़ तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. सोहनी पत्नि धन्ना नाथ, निवासी देवलीखेड़ा, किशनगढ़ तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. गोपाल आत्मज श्री देबी बैरवा, निवासी देवलीखेड़ा, किशनगढ़ तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. मुलचन्द आत्मज श्री कन्हैयालाल कुम्हार (प्रजापत), निवासी-किशनगढ़ तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. शम्भुनाथ आत्मज श्री कानानाथ, निवासी-देवलीखेड़ा, किशनगढ़ तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सवाईपुर (कोटडी) जिला भीलवाड़ा (राज.)भीलवाड़ा

— विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत
अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 5 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम किशनगढ़ पटवार हल्का किशनगढ़ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नन्दराय (हॉल सवाईपुर) तहसील सवाईपुर जिला-भीलवाड़ा की सरहद में हम प्रार्थीगण की कृषि आराजियात स्थित है जिसका विवरण आराजी संख्या 506/2 रकबा 1.0587 हकत ।। व आराजी संख्या 898/506 रकबा 0.0216 गेमु.आचा कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की हैं और प्रतिवादी के पड़ोसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 5 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः नायब तहसीलदार बडलियास को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम किशनगढ पटवार हल्का किशनगढ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नन्दराय (हॉल सवाईपुर) तहसील सवाईपुर जिला-भीलवाडा की सरहद में हम प्रार्थी की कृषि आराजियात स्थित है जिसका विवरण आराजी संख्या 506/2 रकबा 1.0587 हकत ।।। व आराजी संख्या 898/506 रकबा 0.0216 गेमु.आचा कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु नायब तहसीलदार बडलियास को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04-04-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अभिषेक (नायब तहसीलदार)
उपस्थित अधिकारी
भीलवाडा